SHRI S. KANDAPPAN : If you concede that it is public property, then did you consult the public while you accepted the privy purse ? You came to this agreement and this merger as if it is your own property and you did it out of your own free volition, the surnendering of the entire property to the Government of India, with out taking into consideration the people who mostly matter. So, this argument that it is a uery solemn agreement which we should honour is not convincing to me.

Apart from that, there is another aspect. After all, it is more than two decades since the so-called agreement took place. The situation has changed. Is it anybody's argument that in a democratic. developing country, some agreement entered into some two or three decades back even after circumstances have changed, should be honoured ? *(Intertuptions)*

AN HON. MEMBER : Question.

SHRI S. KANDAPPAN : A lot of changes have taken place.

MR. CHAIRMAN : Do not take any notice of the interruptions.

SHRI S. KANDAPPAN : It is very difficult when the interruption comes from very close colleagues.

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuska) : May I tell him that most of the princes who contested the elections got elected.

SHRI S. KANDAPPAN : So what ? A lot of changes have taken place. Even the Constitution which was formulated and accepted by this country was changed many a time. I am sure that you would not be reluctant to support some of the amendments to the constitution. It is not, therefore, a question of any sacredness being attached to it, and it is not a question of the image of the country abroad and all that. If you are reluctant, even at this stage, to abolish the privy purse, I do not think any democratic country in the world will take you seriously ; I do not think the democratically minded people will take you seriously. It is a very abnoxious idea. I would appeal on that score—not even on the question of money—to the princes and their concord and those who are enjoying these privileges to come forward themselves voluntarily to surrender the privileges, because it is not good for them. I feel it is wanting in self-respect of any decent man to live perpetually on unearned income ; this is unearned income and tax-free at that which they should be prepared to surrender voluntarily. So, I fully support this resolution.

I would add one more word with regard to the argument that you had advanced when you happened to be in your seat here: that the mover of the resolution is not just pretending or imagining that by a very simple resolution being passed here, we are going to abolish the privy purse. It is only an enabling measure. When we pass this resolution, we accept that the Government would come forward to make the requisite changes in the Constitution and other codes so that the privy purse may be abolished.

I hope and wish and I do not feel that our Home Minister, Shri Chavan, was very sincere when he made the statemeni. But I do not know what sort of difficulties his party or he himself got into that he is not able to come forward in this respect. It is high time that the Government should make up its mind to abolish the privy purse.

MR. CHAIRMAN : Now it is 5.30. Let us proceed to the half-an-hour discussion.

———

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Delhi Polic Commission's Report

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय, पुलिस की जो व्यवस्था आज हमारे देश में है वह व्यवस्था वही पुरानी है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। और अंग्रेजों ने हमारे देश में पुलिस की व्यवस्था इस उद्देश्य से की थी कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चलता था, हमारे यहां की जो जनता लड़ती थी अपने हकों के लिये, उस को बताया जाय ;

उन आन्दोलनों को दबाना उनको खून में डुबोना ही अंग्रेजी राज्य की पुलिस और फोज

की नीति उस समय थी। उस समय जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने यह समझा था कि आजादी के बाद पुलिस की व्यवस्था में परिवर्तन लाया जायगा और साथ ही पुलिस सचमुच में जनता की सेवा करेगी। पुलिस आजाद भारत में देश के उत्थान में और नवनिर्माण में सहायक होगी और इस काम को ठीक से करने के लिये सरकार उन की सहूलियतों को बढ़ायेगी। अंग्रेजों के शासन काल में पुलिस की जो दयनीय स्थिति वेतन, सर्विस कंडिशन्स, दूसरी सुविधाओं और आवास आदि के सिलसिले में थी उसमें परिवर्तन लाया जायगा यह हम ने उम्मीद की थी। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता हैं कि 22 वर्ष के कांग्रेसी राज्य के बावजूद यह बात हुई नहीं है। आज भी वही सड़ी गली व्यवस्था पुलिस की चल रही है। उन की दिक्कतें आज भी ज्यों की त्यों बरकरार हैं। आज भी एक पुलिस कांस्टेबुल को 75 रु० से शुरू करके उसे 95 रुपये तक तनख्वाह देते हैं उन के रहने की व्यवस्था बहुत ही दर्दनाक है। उनके लिए न शिक्षा की व्यवस्था है न ही उन के लिए व उनके बच्चों के लिए दवादारू की व्यवस्था है। यह स्थिति आज भी बरकरार है। 22 वर्षों की आजादी के बाद भी इस तरह की सोचनीय अवस्था विद्यमान है।

जब सन् 1947 से लेकर 1966 तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो स्वाभाविक ही था कि पुलिसमैनों के अन्दर इस को लेकर असंतोष बढ़ता। उनके असन्तोष का इस रूप में इजहार होने लगा कि उन्होंने अपने सवालों का हल निकालने के लिए, अपनी मांगें हासिल करने के लिए, सरकार के सामने अपनी माँगें रखने के लिए उन्होंने दिल्ली के अन्दर अपना एक संगठन बनाया और कई दूसरे सूबों में भी बनाया। बिहार के अन्दर भी उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। आप जानते ही हैं कि बिहार के पुलिस वालों ने 1946-47 में अंग्रेजों के जमाने में भी अपने सवालों को लेकर आंदोलन चलाया था। पहले आजादी के आन्दोलन के दिनों में वहां के लोगों ने पण्डित रामानन्द तिवारी के नेतृत्व में उस में हिस्सा भी लिया था। हमारे देश के कुछ पुलिस वालों ने आजादी के आन्दोलन में भी हिस्सा लिया लेकिन आमतौर से अंग्रेजो ने पुलिस का स्तेमाल हमारे आजादी के आन्दोलन को दबाने के लिए किया, जन आन्दोलन के विरोध में किया और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वही काम आज की यह कांग्रेसी सरकार भी कर रही है। मजदूर आन्दोलन, किसान आन्दोलन और अन्य जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए यह सरकार इस पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।

जब दिल्ली में पुलिसवालों ने अपना संगठन 1966 में बनाया उस के पहले ही से उनमें असन्तोष बढ़ रहा था, पालियामेंट में सवाल उठ रहे थे और लोग तरह तरह से उनकी मांगों का समर्थन कर रहे थे। तो सरकार ने मजबूर होकर 1966 में यह खोसला पुलिस कमिशन की बहाली की ताकि उन की स्थिति का पता लगाया जाय। इस पुलिस कमिशन की बहाली 5-11-66 को हुई। उस कमिशन ने तमाम जगह पर घूम, घूम कर, पूरे देश में तथा दिल्ली की तमाम बैरकों में जाकर उनकी स्थिति का पता लगाया तब जाकर उन्हें मालूम हुआ कि वास्तव में उनकी कितनी दर्दनाक हालत है?

कमिशन की रिपोर्ट बहुत मोटी है। लगभग 825 पृष्ठ की वह रिपोर्ट है जो कि दो भागों में है। उस रिपोर्ट से बहुत सारी बातें कोट की जा सकती हैं लेकिन इस समय उसके लिये पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सरकार ने और सदन के माननीय सदस्यों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा ही होगा और उनको मालूम होगा कि वेतन के सिलसिले में, आवास के सिलसिले में और शिक्षा व दवादारू के सिलसिले में और दूसरे एलाऊंसेज जो उन्हें मिलने चाहिएं, तमाम बातों के सिलसिले में उन्होंने सुझाव दिये। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया वैसे सरकार कहती अवश्य है कि हम ने उनको लागू किया। उनकी सिफारिश है कि बुनियादी

[श्री रामावतार शास्त्री]

तनख्वाह और दूसरी सहूलियतों को मिला कर एक पुलिस के साधारण कांस्टेबुल को पहले साल में बहाली के समय 228 रुपये 50 पैसे मिलने चाहिए और बीसवें साल में उसको मिलने चाहिए 313 रुपये 40 पैसे। तो क्या सरकार ने उस सिफारिस को लागू किया है ? जाहिर बात है कि सरकार ने उसे लागू नहीं किया है। इस तरीके से उस मोटी किताब में यह भी कहा गया है कि आज हमारे देश में कम से कम तनख्वाह एक दक्ष मजदूर को एक स्किल्ड मजदूर को 240 रुपये मिलती है। लेकिन पुलिस वाले कितनी जबावदेही से काम करते हैं, अपने प्राणों को हथेली में रखकर देश की शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करते हैं; पर उनको तनख्वाह दी जाती है 75 से 95 रुपये। इससे आप मिला लीजिये कि कितना बड़ा गैप है।

जब यह बात नहीं हुई तो यहां पुलिस के लोगों ने अपना संगठन बनाया शान्तिमय तरीके से अनुरोध करने के लिये। उसको मान्यता भी उन्होंने दी। लेकिन इस मान्यता के बावजूद उनके ऊपर तरह तरह से बन्दिशें लगाई जाने लगीं। उनसे कहा जाने लगा कि आप मीटिंगें नहीं कर सकते हैं। जब रिकग्नाइज्ड यूनियन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के मातहत उनको अधिकार है कि वे अपनी यूनियनें बनायें और अपनी मांगें पेश करें, तब आप ने उनके कामों में इस तरह से हस्तक्षेप करना क्यों शुरू किया ?

जब ऐसा हुआ तब दिल्ली के पुलिस वालों के अन्दर असन्तोष बढ़ता गया, और उस असन्तोष के बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि वे लोग 1967 के अप्रेल महीने में देश के गृह मन्त्री के यहां अपनी मांगें समझाने के लिये गये। एक दिन पहले उनके जो पदाधिकारी थे उन को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। वे लोग माला लेकर, फूल लेकर गये थे श्री चव्हाण से यह पूछने के लिये कि इस तरह की बात क्यों हुई। उन की बातें सुनने के बजाय गृह मन्त्री ने उन्हें धमकी दी कि तुम्हारे साथ हम सख्ती से पेश आयेंगे। उसी के बाद उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि 15.4.67 को श्री चव्हाण ने यह धमकी दी और उसी दिन साढ़े तीन बजे गिरफ्तारी शुरू हो गई। एक हजार पुलिस वाले गिरफ्तार किये गये, जिनमें आठ महिलायें भी थीं। उन को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और 45 दिन तक उन की जमानतें नहीं ली गई। उनको तरह तरह से जेल में सताया गया। इस जनतंत्री हुकूमत में, कांग्रेस मार्का समाजवाद में उन के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। 600 अस्थायी पुलिस वाले नौकरी से हटा दिये गये, जिनमें से 500 हरिजन हैं। हरिजन उत्थान की बात यह सरकार कहती है, लेकिन उनको हटा दिया गया। इतना ही नहीं यह बड़े शर्म की बात है एक सिपाही जेल में बीमार पड़ा और उस की हालत खराब होने लगी तो उसको छोड़ दिया, गया, लेकिन अस्पताल तक जाने के लिए सवारी का बन्दोबस्त भी नहीं किया गया। यह कितनी हृदयहीनता की बात थी ? एक तरफ उसको अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई और दूसरी तरफ फिजूलखर्ची का यह आलम।

आज जो पुलिस वाले सस्पेंडेड हैं उन में से बहुत ज्यादा आदमियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनमें से किसी को हरियाना से आना पड़ता है, किसी को यू पी से आना पड़ता है और कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट का माहौल भी ऐसा है कि वह अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकते मिलिटरी वाले और आर्म्ड पुलिस वाले वहां बैठे रहते हैं।

इसके विरोध में और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए पिछले अधिवेशन के समय में बहुत से संसद्-सदस्यों ने, सभी पार्टियों के संसद्-सदस्यों ने, गृह-मन्त्री से अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि वह पुलिस वालों के साथ न्याय करें, उनकी मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया

जाये, जितने लोगों पर मुकदमे चलाये गये हैं उनको वापस लिया जाए, सस्पेंशन आर्डर विदड्रा किये जायें, उनके डिसमिसल को विदड्रा किया जाये, टर्मिनेशन नोटिसें वापस की जायें। लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी उनको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा गया। अगर इस तरह का व्यवहार हो तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि पुलिस वालों पर इसका क्या असर पड़ता होगा, उनके अन्दर असन्तोष की कितनी ज्वाला धधक रही होगी। इस का असर दूसरे राज्यों की पुलिस पर भी पड़ने वाला है।

पुलिस हमारे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। अगर उस संगठन की यह स्थिति होगी तो हम अपने देश को कैसे आगे ले चल सकेंगे और जनतन्त्र के विचार को कैसे मजबूत बना सकेंगे? आज हमारे देश में साम्प्रदायिकता उभारी जा रही है, तरह तरह से प्रगति विरोधी कदम उठाये जा रहे हैं। वे लोग उनसे हमारी रक्षा कैसे कर सकेंगे जब वे इतने असन्तुष्ट रहेंगे?

मैं मन्त्री महोदय से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि जो आज स्थिति है उसको आप देखें। आपने केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रति नर्मी की नीति अपनाई है। ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके प्रति दूसरी नीति क्यों आप अमल में ला रहे हैं। जो नीति आप ने केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रति अपनाई है, क्या वही नीति आप इनके प्रति भी अपनायेंगे, उसी नीति का यहां भी अनुसरण करते हुए उनके साथ कोई वार्ता करेंगे?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस के असन्तोष को समाप्त करने तथा उनके बीच सामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिये क्या सरकार उनकी बरखास्तगी, उनकी मुअत्तली, उनको नौकरी से प्रथक करने की कार्यवाई तथा उन पर चल रहे जो मुकदमे हैं, उनको वापिस लेने का विचार रखती है? यदि नहीं रखती है तो क्या सरकार की इस कठोर एवं जन विरोधी नीति के कारण पुलिस वालों में अनुशासन बनाये रखना तथा उनमें कार्यक्षमता बढ़ाना सम्भव हो सकेगा?

मेरा तीसरा सवाल यह है कि सरकार उनके वेतनों, आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा तथा दूसरी सुविधायें देने सम्बन्धी कमिशन किन किन सिफ़ारिसों को स्वीकार करती है या उसने किया है? मैं चाहता हूं कि इसका ब्यौरा सदन को दिया जाए। यह कह दिया जाता है कि हमने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि सदन को बताया जाये कि आपने क्या क्या स्वीकार किया है?

चौथा मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार इन सभी सिफारिशों को एक साथ कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है तो क्या मन्त्री महोदय अभी एलान करेंगे कि इन सिफारिशों को पूरे तौर पर कब तक लागू कर दिया जाएगा? अगर सरकार इसकी घोषणा नहीं करना चाहती है तो इसका क्या कारण है?

आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या सरकार दिल्ली नान-गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ के साथ वार्ता करके मसले के हल का कोई रास्ता निकालने को तैयार है? अगर नहीं है तो इसका क्या कारण है?

इन सभी सवालों का मैं साफ़ साफ जवाब चाहता हूं ताकि पता चल सके कि पुलिस वालों के प्रति सरकार कितनी हमदर्दी दिखलाना चाहती है और कहां तक इन सवालों को हल करना चाहती है। आप याद रखें कि जमाना बदल रहा है, जनता बदल रही है, पुलिस वाले बदल रहे हैं, फौज बदल रही है और आपके साथ भी वही होगा जो बहुत से दमन करने वालों के साथ हुआ है, बहुत से जन विरोधी नीति बरतने वालों के साथ होता आया है। इसलिए राइटिंग आफ दी वाल को पढ़कर आप जवाब दें।

DR. RANEN SEN (Barasat): The police department was notorious and is still notorious for corruption. It was always used as an instrument of oppression of the people during the British days and it continues to be so even today. The police force was used and is being used against the people. Yet, the government did not think it fit to treat the policemen in a humane way. It is quite evident and well-known from the movement that was launched by the policemen that even the elementary rights and privileges are denied to them by this government. Sir, when I am asking this question I find that the hon. Minister is talking to Shri Randhir Singh without hearing me. Then, how can he answer my question? Though the police force was used by the government to suppress and oppress the workers and peasants and democratic movements, they did not think it fit to give the policemen their elementary human rights and privileges. It is mentioned in the Police Commission Report that whereas before independence 85 to 90 per cent of the police was civil police and only 10 to 15 per cent was armed police, now the armed police is nearly 50 per cant of the total police force of India. This shows that the police is being geared as an armed force against the people.

But no human consideration is given to these people. This is also admitted by the Delhi Police Commission Report, as I read it from the Report.

Here, it is mentioned that if a complete break-away is to be made from the present state of affairs, we must take bold steps and provide adequate pay scales for the police of Delhi. Then only, it will be possible to enforce discipline. The question of discipline has been raised by the Government.

My question is this. When the Government set up the Khosla Commission to go into the whole question and the Report is before the Government, is it a fact that the Government has not accepted the recommendations of the Khosla Commission in regard to pay, conditions of service, condition of their housing, medical treatment and other things? If the Government has accepted these things, let the Government make a statement here and now. If the Government have not accepted the recommendations, firstly, I would like to know why the Government have not accepted the recommendations. When they set up the Commission, it was their obligation to accept the recommendations. Seconly, if the Government have not accepted the recommendations, what steps the Government are going to take to see that better conditions of service to the policemen who are working in Delhi so teat they at least can get a little human treatment from the Government?

MR. CHAIRMAN: Shri Sitaram Kesri.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): Sir, some of us have also sent slips.

MR. CHAIRMAN: Your name is not there.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Today, you can exercise your discretion.

SHRI NAMBIAR: Leave alone the ballot, we have also sent our names.

MR. CHAIRMAN: I cannot give up the rules.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): All the people belong to Haryana. Kindly allow me as a special case.

SHRI S. M. BANERJEE: It is in your discretion. Today, you kindly allow us.

MR. CHAIRMAN: I want to follow the rules strictly.

SHRI NAMBIAR: Those who have came in the ballot may be called first. Then, you have get your discretion to call others. The Chair has always the discretion.

SHRI S. M. BANERJEE: You should know your powers, Sir. You have great powers.

MR. CHAIRMAN: I neee not be reminded, Mr. Banerjee. I want to follow the rules. Shri Sitaram Kesri.

श्री सीता राम केसरी (कटिहार): सभा-

पति महोदय, हमारे दोस्त, श्री रामावतार शास्त्री ने अपने लम्बे भाषण के दौरान पुलिस के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति प्रकट की। यह अच्छी बात है। यह बात सच है कि पुलिस के निम्न स्तरीय कर्मचारी शासन और समाज की बहुत सेवा करते हैं। बरसात की रात हो, जाड़े का समय हो या बैसाख या जेठ की गर्मी हो, सभी अवस्थाओं में वे जनसेवा का कार्य करते हैं।

उन लोगों की जो उचित मांगें हैं, सरकार को उन की पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि अगर पुलिस में, जो शांति और व्यवस्था की रक्षा हेतु बनाई गई है, शासन के प्रति बगावत या विद्रोह की भावना आ जायेगी, तो देश में शांति और व्यवस्था रह सकेगी, इसमें गहरा सन्देह है। हमारे दोस्त ने एक ओर तो पुलिस को कनडेम किया और दूसरी ओर उसके प्रति हमदर्दी दिखाई। ये लोग प्रशासन को कनडेम करने के लिए रोज ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं कि पुलिस चोर है, पुलिस घूसखोर है, उसने यह किया है, वह किया है, आदि। लेकिन जब पुलिस शासन के प्रति बगावत और विद्रोह की भावना से कोई कार्य करती है, तो उनकी नजर में वह बहुत बढ़िया हो जाती है।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा किसी ने नहीं कहा है।

श्री सीता राम केसरी : अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने 1966 में जो बगावत की, उसके पीछे बहुत दिनों के निरन्तर असंतोष की भावना का विस्फोट था।

मंत्री महोदय ने 28 मार्च, 1969 को एक अनस्टार्ड प्रश्न के उत्तर में कहा कि दिल्ली पुलिस कमिशन ने जो रीकमेंडेशन्ज की हैं, उनमें से अधिकतर रेकमेंडेशंस पर इन्होंने विचार किया और डेसीशन लिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कौन-कौन से रेकमेंडेशंस के ऊपर आप ने डेसीशन लिया और कौन कौन से रेकमेंडेशन को आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे?

दूसरी बात यह है कि क्या इस रेकमेंडेशन में डी० एस० पी० की पे के संबंध में जो रेकमेंडेशन आया है वह पहले जो था उससे भी कम है?

और तीसरा एक और भी है जो पुलिस के संबंध में ही है कि पुलिस को एकमोडेशन की सुविधा देनी चाहिए उन के परिवार के रहन सहन के लिए, इस संबंध में कमीशन ने जो रेकमेंड किया है, उसे आपने अपने निर्णयों में मंजूर किया है या नहीं?

यह तीन प्रश्न मैं आप से करना चाहता हूं।

SHRI RANDHIR SINGH: 95 per cent are my men, Sir. I should be given a chance to ask a question.

SHRI NAMBIAR: Just one question, Sir. Unfortunately our names did not came in the ballot.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Whether they are Mr. Randhir Singh's men or anybody's men, the poor constables and chowkidars are the brave sons of India like any other men from any part of India. Let us not confuse two things as he said. I do not think that they had any revolt against the State. The last struggle or agitation which they had was a manifestation of the great injustice, the unfair treatment, meted out to them. If we equate this movement with a revolt, that will be an unfortunate thing, that will be a wrong reading. If you start making wrong readings, I fear that more of such things will occur in greater proportions and we will not be able to control them.

Whenever there are any genuine grievances, you must look into them very sympathetically. The question, as it has been stated here, is that the police was used as an instrument of coercion and suppression in the British days. After Independence also, the Congress Party have used them as an instrument of coercion and suppression against the other people—trade unions and opposition parties. They have not brought about any dynamic change in their outlook. (*Interruptions*)

They have the same sickening status as

[Shri S. Kundu]

jawans in the Army. The constables and chowkidars are treated as domestic servants and are given all sorts of odd jobs to perform. Any sane man will revolt against this. This was reflected in the last agitation. Anyway, this is not the time to discuss all those things. I will just refer to two lines from the report of the Khosla Commission. When Government appoints a Commission, they must at least accept the major recommendations of the Commission. I will just read out what the Khosla Commission has said about pay and dearness allowance.

> "As we have pointed out in the opening chapter of this report, these recommendations were the absolute minimum in the matter of pays and allowances which we considered barely sufficient, but less than equitable, for the personnel of the Delhi Police Force. The recommendations were, as we have pointed out, on the conservative side. We have now given the matter greater consideration and have had the advantage of studying a great deal of evidence upon the subject. We are, therefore, in a position now to make our final recommendations with regard to pay and allowances which we consider absolutely necessary for securing the efficiency and contentment of a proper police force worthy of the capital city of Iddia."

I will just read out a sentence about what they say...

MR. CHAIRMAN : You may please ask your question.

SHRI S. KUNDU : These are very vital references. After having toured all over India, they find the Delhi police to be in a worse condition compared to Bombay, Madras, Calcutta and other polices.

They say :

> Now, In India in general and in Delhi in particular, the office of the constable has no aura of respectability whatsoever. He is distrusted by the law. He is disliked by the people. He is classed as a scavenger and a chowkidar in respect of the quantum of his pay and allowances.

This is the recommendation of Khola Commission. When the Government appoints a commissin, they must give fair treatment to its recommendation. It is not contempt of the House, but it would be contempt of certain conventions practised in a democracy if such a treatment is not given.

About 3,000 criminal cases have been instituted against these policemen; 900 people have been suspended ; 74 people have been dismissed. The Government has shown certain generosity in respect of the employees who participated in the September strike. Let the same attitude be shown here. Let them withdraw all these cases. I would urge upon the Minister to withdraw all these cases and take back the employees who have been suspended as this will create the necessary goodwill. Therefore, we would like to know what action they are going to take according to these recommendations of the Khosla Commission.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : Delhi Non-gazetted Karmachari Sangh was recognised by Government. Its constitution was approved by Government. As far as I know, the recognition has not been withdrawn. Even Khosla Commission says that the formation of an Association for policemen is not a circumstance at which they may justifiably feel horrified. They justified formation of the same and even the Inspector General of Police in his correspondence has assured that they will be provided with an opportunity to ventilate their grievances.

When this recognised body wants to carry on its activity in a peaceful manner, I want to know as to why Government does not want to carry on a dialogue with them because it is a recognised union. The position is this. The Government has meted out a different treatment to the Central Government employees. After all they are part of the same machinery.

The Khosla Commission report says:

> "We feel convinced that the vast majority of Delhi policemen are amenable to discipline if proper understanding is shown to them."

18.00 hours

When the policy of forgive-and-forget has been followed in the case of Central Government employees, why should they give a treatment differently to these policemen? The report itself says that they are amenable to discipline and with proper understanding and approach you can keep them disciplined. Are the Government anxious to keep them as a disciplined force? Or, do they want to make them frustrated by denying them the implementation of the recommendations of the Khosla Commission and also by meting out to them a differential treatment, than the one which was meted out to other employees? In the case of the Punjab, there was a Police Commission under the chairmanship of Mahajan—a former Chief Justice of India—and as soon as the interim report was submitted, the Government of Punjab fully implemented their recommendations. When that was done, I want to know why the Delhi Police is kept at a disadvantageous position and why the recommendations of the Khosla Commission are not being implemented with speed.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है। संविधान के जरिये डिस्क्रिमिनेशन को बन्द कर दिया गया है और यह कहा गया है कि ग्रादमी-ग्रादमी में फर्क नहीं होना चाहिए लेकिन जैसी कि मुझे इंफार्मेशन मिली है, हरियाणा के जो जवान हैं उनकी भर्ती दिल्ली पुलिस में बन्द कर दी गई है। प्रिएम्बिल ग्रौर फंडामेंटल राइट्स में यह है कि ग्रादमी-ग्रादमी में फर्क नहीं किया जायेगा फिर यह कहाँ तक जायज है ?

दूसरी बात यह है कि 19 सितम्बर की हड़ताल के सिलसिले में जो वायलैंस, इंटिमिडेशन ग्रौर कनाइवेन्स के केसेज थे उनको जब माफ कर दिया गया तो फिर इन लोगों ने क्या पाप किया है ग्रौर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में भी कांस्टीट्यूशन को फालो किया जायेगा या नहीं ?

MR. CHAIRMAN: There is no point of order.

SHRI NAMBIAR: I have a Point of Order...

MR. CHAIRMAN: I am sorry I cannot hear your Point of Order.

SHRI NAMBIAR: Point of order is always heard . . .

MR. CHAIRMAN: Please do not make a mockery of the Rules. Kindly sit down. I cannot allow you...(*Interruptions*). Nothing will be recorded...(*Interruptions*).

** **

What is your Point of Order?

SHRI NAMBIAR: When Half-an-Hour discussions is held, Members are allowed to write in advance to the Speaker as to whether they would like to put questions. That is the procedure. According to that procedure, I have written a letter to you that I wanted to raise a question.

MR. CHAIRMAN: That is not a Point of Order.

SHRI NAMBIAR: It is a procedural matter.

MR. CHAIRMAN: I am also on procedure.

SHRI NAMBIAR: How can you say that because when Half-an-Hour discussions is there, a member can write in advance to the Chair asking for permission to put questions.

Accordingly, I am raising the point. I wrote to you...

MR. CHAIRMAN: I am aware of the rule. Let him please listen to me now.

SHRI NAMBIAR: You may give your ruling. That is your prerogative.

SHRI S. M. BANERJEE: I do not want to put any question. I only want your guidance on one thing...

**Not recorded.

MR. CHAIRMAN : No guidance and no explanation from the Chair.

SHRI S. M. BANERJEE : I do not want to put any question. Something has been quoted by Shri Shri Chand Goyal. I only want that the particular document should be placed on the Table...

MR. CHAIRMAN : No word of Shri S. M. Banerjee should go on record.

SHRI S. M. BANERJEE : *

MR. CHAIRMAN : That is a public document and therefore, it is available to everybody and to the House.

SHRI S. M. BANERJEE : I am not referring to the Khosla Commission's report...

MR. CHAIRMAN : Shri S. M. Banerjee is a senior Member and he should not raise this kind of point of order now.

SHRI S. M. BANERJEE : I am not arguing with you. I only want to strengthen your hands by my point of order. I am not referring to the Khosla Commission's report. I am referring to the document which was referred to by Shri S Kundu. Here is the memorandum of the Delhi Police Non-gazetted Karmachari Sangh with observations of the Khosla Commission on Delhi Police, 1967-68 and appeal to Government...

MR. CHAIRMAN : I have followed the hon. Member. Let him kindly resume his seat. During the half-an-hour discussion, the right of a Member is to ask a question, and, therefore, the question of placing a memorandum on the Table of the House does not arise. I have ruled out the point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : It is a very serious matter.

MR. CHAIRMAN : Let him not challenge the ruling.

SHRI S. M. BANERJEE : I bow to your ruling.

MR. CHAIRMAN : Today what is wrong with the hon. Member ?

SHRI S. M. BANERJEE : Shri Kamath had raised the question of the CBI report only during a half-an-hour discussion, and in fact, the half-an-hour discussion started with that. Ultimately came the historic ruling of Sardar Hukam Singh that that document could be laid on the Table of the House. Following the same example, I want your guidance in regard to this document. I want you also to rise to that great height. I am not going to put any question. I may assure you of that. I only want that that document should be placed on the Table† of the House. I shall send that document to you. If you are convinced, kindly allow it to be laid on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : He may kindly give it at the Table. I shall consider whether it can be done at the time of a half-an-hour discussion.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति महोदय, यह खुशी की बात है कि कम से कम एक बार तो माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री जो कि पुलिस वालों को भला, बुरा कहते रहते हैं, कोसते रहते हैं, आज उन माननीय सदस्य ने खड़े होकर उन पुलिस वालो की कुछ तारीफ की है। मैं इस बात से भी खुश हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हुई हैं जिन से पता लगता है कि वह कम से कम जो मनुष्यता का दृष्टिकोण है ऐसे मामलों पर उस पर भी वह थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं।

जहां तक दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के असंतोष का सवाल है, जो उन की कार्य करने की कंडिशंस हैं, जिस स्थिति में उन्हें काम करना है, उसके बारे में सोच विचार किया गया और यह सोचा गया कि जब तक पुलिस

* Not recorded.

†The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

कमिशन की सिफारिश न मिले तब तक उसके ऊपर पूर्ण रूप से जिस तरीके उस बारे में कार्यवाही होनी चाहिए वैसी नहीं होने पायेगी। जब पुलिस कमिशन की नियुक्ति की गई उस समय उन से कहा गया कि हम उसके ऊपर शीघ्रता से कार्यवाही करना चाहते हैं इसलिए आप उस बारे में हमें एक इंटेरिम रिपोर्ट दे दें जिससे कि हम ठीक तरीके से कार्यवाही कर सकें। इसलिए खोसला पुलिस कमिशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट देने से पहले एक इंटेरिम रिपोर्ट हम लोगों को दे दी जिसमें कि पुलिस वालों की हाउसिंग, पे ऐंड एलाऊंसेज के बारे में सिफारिशें की गई थी। उस इंटेरिम रिपोर्ट के ऊपर तात्कालिक कार्यवाही की गई और उसके अन्तर्गत बहुत सी उन की सिफारिशें मंजूर करके पुलिस हाउसिंग के लिए लाखों रुपये खर्च किये। मैं समझता हूं कि कोई 70-80 लाख रुपया उस सिलसिले में खर्च हुआ है। इस समय मुझे उसके पूरे आंकड़े याद नहीं हैं लेकिन यह हकीकत है कि काफी खर्च हुआ है और आगे चलकर और भी काफी रुपया उस पर खर्च होने वाला है। एक निर्धारित योजना के अनुसार वह पुलिस की हाउसिंग स्कीम चल रही है। इसी तरह उनके पे ऐंड एलाऊंसेज के बारे में भी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आर्डर्स पास किये गये और उन्हें लागू भी कर दिया गया। समयाभाव के कारण में उस सम्बन्ध में सारा विवरण आपको नहीं दे सकता हूं लेकिन पुलिस कमिशन की रिपोर्ट के ऊपर जो विचार किया गया या कार्यवाही की गई उस पर हम एक टेबुलर स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं और मैं वह सारी सूचना सदन की टेबुल पर रख दूंगा और माननीय सदस्यों को पता लग जायेगा कि हम लोगों ने क्या-क्या कार्यवाही उस सिलसिले में की है।

जहां तक उन के असन्तोष का सवाल है और उनके ऊपर जो अभी मुकदमे चल रहे हैं उनका सवाल है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बहुत गम्भीरता से सोच विचार करने का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर एक हलके फुलके ढंग से विचार नहीं किया जा सकता है।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति रही है? हम लोगों ने जरा भी कोई कड़ाई से पेश आकर उनको सजा देने की बात नहीं सोची लेकिन यह जरूर है हमने इस बात को हमेशा देखा और इस बात का हम ध्यान रखते हैं एक तो हमारे वे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि दफ्तरों में काम करते हैं और दूसरे हमारे वह सरकारी कर्मचारी हैं जैसे पुलिस वाले जिन पर कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने का दायित्व आता है तो जाहिर हैं कि इन को एक कड़े अनुशासन में रह कर अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ अंजाम देना जरूरी रहता है। जाहिर है कि इन दोनों वर्गों के काम करने के ढंग में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए दोनों को एक ही स्तर पर रख कर एक ही तरीके से उनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता है और न एक जैसा निर्णय ही लिया जा सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां हमने दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण रूप से विचार करके उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी, उन की शिकायतों को हमने यथासंभव रफा किया ताकि वह लगन व निष्ठा के साथ अपने फर्ज को अंजाम दें वहां यह जो पुलिस कर्मचारी हैं जहां तक इनका सवाल है इनको हमें पूरी तौर से अनुशासन में बनाये रखना है, किसी तरह की ढील अनुशासन में उनके बारे में हमें नहीं होने देनी है।

यह हम मानते हैं कि उनकी कठिनाइयां हैं और वह दूर होनी चाहिए। खोसला पुलिस कमिशन की नियुक्ति भी इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। उस कमिशन की सिफारिशों को भी मंजूर किया जा रहा है। लेकिन उन कठिनाइयों के कारण पुलिस वालों द्वारा इस तरह की अनुशासनहीनता उच्छृंखलता का औचित्य नहीं हो सकता है। इसे हम स्वीकार करते हैं कि पुलिस वालों

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

की कठिनाइयां हैं और हम उन्हें यथासाध्य दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम उनमें अनुशासन-हीनता को बर्दाश्त कर लेंगे ? जैसा मैंने कहा हम उनकी दिक्कतों व कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी हमारी क्षमता है हम उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे।

लेकिन अनुशासनहीनता के कारण जो कार्यवाही पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ की गई है उसे किसी तरह से हटाया नहीं जा सकता है यह माननीय सदस्यों को साफ तौर पर समझ लेना चाहिये। मैं यह चीज बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा अपनी इस नीति में किसी तरह का फेरबदल करने की कोई सम्भावना नहीं है। इस तरीके से यह जो बार-बार इस चीज को सामने लाया जाता है इस उम्मीद से कि किसी तरह की उसमें नरमी बर्ती जायेगी या किसी तरह की कोई उसमें अन्य बात हो जायेगी तो उस तरह की बात करने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा क्योंकि जहां तक यह पुलिस फोर्स में अनुशासन बनाए रखने का सवाल है उसे हर हालत में बनाये रक्खा जायेगा और जो भी अनुशासनहीनता दिखलायेगा उसके बारे में कोई नरमी बर्तने का सवाल नहीं है। कड़ाई के साथ हम पुलिस कर्मचारियों में अनुशासन का पालन करवायेंगे यह हमारी नीति है और अनुशासनहीनता और उच्शृंखलता के कारण जो मुकदमे कर्मचारियों पर चल रहे हैं वह मुकदमे पुलिस वालों के ऊपर पूरे तरीके से चलेंगे। अगर मुकदमे से उन को छोड़ा जाता है तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको वापिस ले सकते हैं और अगर इन मुकदमों के फलस्वरूप उनको सजा मिलती है तो उस सजा के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जायेगी इसके सिवा न उनके मुकदमे हटाने का सवाल है हमारे सामने न किसी तरह की नरमी का सवाल है। जहाँ तक उन के असन्तोष का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की कार्रवाई का माननीय सदस्य यहां पर सुझाव दे रहे हैं अगर वह की गई तो उससे और ज्यादा असन्तोष बढ़ेगा। उससे असन्तोष में कमी आने वाली नहीं है। उसके खिलाफ किसी तरह की बदले की भावना हमारे दिल में नहीं है। हम जानते हैं कि उन गरीबों को तकलीफ है। बहुत से गुमराह भाइयों का नुकसान हुआ क्योंकि वह गुमराह हुए। राज-नीतिक नेताओं के चक्कर में पड़ कर उन्होंने अपनी रोजी रोटी खोई। उसका हमें दुःख है। हमें उससे कोई सुख नहीं मिला है।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peerwade): What is the political pressure ? Will you explain ?

SHRI NAMBIAR : The Khosla Commission reveals the truth. The politics is the politics of their bad condition.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Can you not give an assurance that within two or three months all the cases will be disposed of ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राजनीतिक प्रभाव उन लोगों पर डाला गया। यह तो रेकार्ड की बात है, बहस की बात नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है। जो स्वयं सिद्ध बात है उसका खण्डन करने से कोई फायदा नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस के मामलों में राजनीतिक लोगों के द्वारा हस्तक्षेप न हो और ठीक ढंग से मेरिट्स के ऊपर विचार किया जाय तो बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं और अच्छी तरह से इन्साफ हो सकेगा। लेकिन अगर इस तरह से सरकार पर दबाव डाला जायेगा तो इससे पुलिस वालों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक तरफ तो हम इस तरह आदमियों के साथ पूर्ण कड़ाई से व्यवहार करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने साधनों के अनुसार जितनी भी सुविधा हो सके हम पुलिस फोर्स को

हाउसिंग के मामले में, शिक्षा के मामले में और अलाउंसेज के मामले में देंगे। लेकिन जहां तक अनुशासन और उनके अन्दर डिसिप्लिन रखने का सवाल है, उसमें किसी तरह का भी समझौता नहीं हो सकता।

SHRI NAMBIAR : The entire police force is hearing you. Do not forget it.

18.19 hours.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1969, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th April, 1969, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

18.20 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 12, 1969/ Vaisakha 22, 1891 (*Saka*).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.